RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

66 वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, शनिवार 27 जुलाई 2024 ■ वर्ष 66 ■ अंक 174 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ संस्थापक - स्व. श्री तुषार कांति बोस

सीमापार आतंकवाद को कुचल दिया जायेगा मोदी ने दी पाकिस्तान को चेतावनी

◆ अग्निपथ योजना पर विपक्ष के दावों की पीएम मोदी ने खोली पोल

करगिल, 26 जुलाई (एजेंसी)। केंद्र शसित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में हाल में बढ़े आतंकवादी हमलों के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद को पूरी ताकत से कुचल दिया जायेगा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा।

श्री मोदी ने करगिल से पाकिस्तान को आज यह कड़ा संदेश दिया, जहां भारत ने 1999 में एक छोटे युद्ध में नियंत्रण रेखा के पार द्रास-करगिल सेक्टर की पर्वत चोटियों से हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर और खदेड़कर पाकिस्तान को अपमानजनक हार का स्वाद चखाया था। आज ही के दिन युद्ध विराम की घोषणा की गयी थी और इसे भारत में 'करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर द्रास में युद्ध स्मारक पर युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछली हार और गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है तथा वह आतंकवाद एवं छद्म युद्ध की मदद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा, ÷पाकिस्तान हमेशा अतीत में विफल रहा हैं, लेकिन उसने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है। वह आतंकवाद और युद्ध की मदद से खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आज जब मैं ऐसी जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आका मेरी आवाज सीधे सुन सकते हैं, तो मैं आतंकवाद के इन संरक्षकों को बताना चाहता हूं कि उनके नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हमारे बहादुर जवान पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा।

वर्ष 1999 के करगिल युद्ध के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न केवल युद्ध जीता बल्कि सत्य, संयम और शक्ति का अद्भुत उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, करगिल में हमने न केवल युद्ध जीता बल्कि हमने सत्य, संयम और शक्ति का अद्भुत उदाहरण भी दिया। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति की कोशिश कर रहा था और बदले में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना अविश्वसनीय चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने झूठ और आतंक की हार हुई।

श्री मोदी ने अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस और उसके विपक्षी सहयोगियों पर भी कटाक्ष किया और उन पर इसका राजनीतिरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर दिया कि सेना में अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना और युद्ध के लिए उन्हें फिट रखना है। कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा, कुछ लोग सोचते थे कि सेना का मतलब राजनेताओं को सलामी देना और परेड करना है, लेकिन हमारे लिए सेना का मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, सेना को लगातार युद्ध के लिए फिट रखना है।

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व उड़ीसा सरकार का ऐलान

अग्निवीर जवानों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में मिलेगा आरक्षण

रायपुर/भोपाल, 26 जुलाई (एजेंसी)। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस पर यह घोषणा की। हालांकि, यह आरक्षण कितना होगा और कैसे दिया जाएगा, यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश छग सरकार शीघ्र ही जारी करेगी।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कोटा और आयु में पांच साल की छूट की घोषणा की है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि प्रधानमंत्री ने लद्दाख में अपने संबोधन में भारतीय सेना में अग्निवीर जवानों की विशिष्ट भूमिका पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो संकल्प लिया है, उसका अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर चलेगा।

आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री की मंशानुसार अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि निश्चित ही अग्निपथ योजना देश की ताकत बढ़ाने के साथ ही सामर्थ्यवान युवाओं को सेना से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है।

यह रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता और डिफेंस रिफार्म्स का अहम कदम है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार प्रदेश में अग्निवीर जवानों के लिए आरक्षण के प्रविधान करने का निर्णय लिया है।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र की अध्यक्षता संभाली

नयी दिल्ली 26 जुलाई (एजेंसी)। आपदा राहत और बचाव के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केन्द्र की अध्यक्षता का कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में थाइलैंड के बैंकॉक में बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 के लिए चीन से इस केन्द्र की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला। यह केन्द्र एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग और कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत और आठ प?ोसी देश बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को ही बैंकॉक में आयोजित केन्द्र न्यासी बोर्ड की 5 वीं बैठक की भी अध्यक्षता की। भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस दिशा में कई वैश्विक पहल की हैं, जिनमें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन की स्थापना जैसी पहल प्रमुख हैं।

अग्निपथ योजना के लिए सेना से नहीं ली गई सलाहः खड़गे

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश को गुमराह करने का शुक्रवार को आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने योजना को लागू करने से पहले सेना से सलाह नहीं ली है। श्री खड़गे ने आज यहां कहा कि योजना को मनमाने तरीके से लागू किया गया है और इसको लेकर पहले किसी से मशविरा नहीं किया गया है। उन्होंने योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि इससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है इसलिए इसको लेकर देश के युवाओं में गुस्सा है। योजना का चारों तरफ इसका विरोध हो रहा है इसलिए सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी, ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अक्षम्य अपमान है। मोदी जी, साफ़-साफ़ झूठ और भ्रम फ़ैला रहें हैं। श्री खड़गे ने पूर्व सेना अध्यक्ष का जिक्र करते हुए कहा पूर्व सेनाध्यक्ष (सेवानिवृत्त) जनरल एमएम नरवणे जी ने रेकॉर्ड पर कहा है कि 'अग्निपथ' योजना में चार वर्षों की सेवा के बाद 75 प्रतिशत लोगों को रखना था और 25 प्रतिशत लोगों को सेवानिवृत्त करना था। पर मोदी सरकार ने इससे उल्टा किया और ये योजना तीनों सैन्य बलों में जबरदस्ती लागू कर दी।

कांवड़ यात्राः नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त तक बढ़ाई रोक

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों के विक्रेता, होटल मालिकों को अपने और अपने यहां काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश पुलिस समेत अन्य के आदेश पर रोक शुक्रवार को पांच अगस्त तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने नाम प्रदर्शित करने के आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रोक बढ़ाने संबंधी आदेश पारित करते हुए कहा कि यदि कोई स्वैच्छिक रूप नाम प्रदर्शित करना चाहे, तो ऐसा कर सकता है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि पिछला आदेश (22 जुलाई) किसी को भी मालिकों और कर्मचारियों के नाम स्वेच्छा से प्रदर्शित करने से नहीं रोकता है। पीठ ने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से ऐसा करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई जोर नहीं देना चाहिए,

शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एसएसपी द्वारा 17 जुलाई को जारी निर्देश का बचाव करने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के जवाबी हलफनामे पर अपना (याचिकाकर्ता का) जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

श्री सिंघवी ने दलील देते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि भेदभाव हुआ है, लेकिन यह स्थायी प्रकृति का नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। शीर्ष अदालत के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के अनुसार ढाबों सहित प्रत्येक खाद्य विक्रेता को मालिकों के नाम प्रदर्शित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रोक संबंधी अंतरिम आदेश इस केंद्रीय कानून के अनुरूप नहीं है।

मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बड़ी ताकत के रूप में उभरा भारत-साय

◆ सदन में प्रस्ताव पारित कर दी गई बधाई एवं शुभकामनाएं

रायपुर, 26 जुलाई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा किया है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। विधानसभा में यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक उंचाईयां प्राप्त की हैं, उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।

बंगाल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई ने की 1,814 अवैध भर्तियों की पहचान

कोलकाता, 26 जुलाई (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल नगरपालिका नौकरी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल की 15 विभिन्न नगर पालिकाओं में 1,814 अवैध भर्तियों की पहचान की है।ये सभी भर्तियां 2014 से आउटसोर्स की गई एजेंसी एबीएस इन्फोजोन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई थीं, जिसका स्वामित्व निजी प्रमोटर अयान सिल के पास है। वह स्कूल की नौकरी के लिए करोड़ों रुपये की नकदी मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में कुल 17 नगर पालिकाएं सीबीआई जांच के दायरे में हैं और केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने 15 शहरी नगर निकायों में अवैध भर्तियों की पहचान की है। उत्तर 24 परगना जिले में पानीहाटी और टाकी नगरपालिकाओं में सीबीआई अवैध भर्ती के एक भी मामले का पता नहीं लगा पाई है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने हाल ही में कोलकाता की एक विशेष अदालत में इस संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किया है। सूत्रों ने बताया कि 15 नगर पालिकाओं में से अनियमित भर्तियों की संख्या दक्षिण दमदम नगर पालिका में सबसे अधिक रही। यहां से 329 भर्तियां की गईं।

असम में अहोम राजवंश का समाधि स्थल मोइदम विश्व धरोहर में शामिल

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। असम के चराइदेव जिले में स्थित प्राचीन अहोम राजवंश के टीले वाले समाधि-स्थल मोइदम को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा यहां चल रही यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के दौरान शुक्रवार को की गई। असम की मोइदम भारत की 43वीं संपत्ति है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में स्थान मिला है। असम की दो और सम्पत्तियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभयारण्य को इससे पहले 1985 में प्राकृतिक श्रेणी की विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था।

सुलतानपुर की अदालत में पेश हुये राहुल गांधी

सुलतानपुर, 26 जुलाई (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को यहां मानहानि के एक मामले में विशेष न्यायालय में हाजिर हुये। उन्होने अदालत में सफाई देते हुये कहा कि वह निर्दोष हैं और एक राजनीतिक षडयंत्र के तहत उन्हे फंसाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को पिछली 20 फरवरी को जमानत दी थी और आज मामले में सुनवाई के लिए पेशी थी।

तनिष्क शोरूम से बीस मिनट में 20 करोड़ की लूट

पूर्णिया, 26 जुलाई (एजेंसी)। बिहार के पूर्णिया में 20 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। सुबह कस्टमर बनकर दुकान में दाखिल हुए लुटेरे 20 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी ले गए। इसमें 10 करोड़ रुपए से अधिक हीरे के गहने हैं। बाकी सोने की ज्वेलरी बताई जा रही है। इस लूटपाट में छह अपराधी शामिल है जो बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। सभी हथियार से लैस थे। जानकारी के अनुसार, पहले 3 अपराधी शोरूम में कस्टमर बनकर घुसे थे। इसके बाद तीन और अंदर गए। फिर सभी ने गन पॉइंट पर लूटपाट की। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने शोरूम के कर्मचारी और ग्राहकों को ऊपर वाले फ्लोर पर बंधक बना लिया था।

आज का इतिहास

1709: सम्राट इम्पेरर नाकमिकादो जापान के सिंहासन पर बैठे।
1713: रूस और तुर्की ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किये।
1789: पहली फेडरल एजेंसी द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्थापना।
1836: दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एडीलेड की स्थापना।
1862: अमेरिकी शहर कैंटन में तूफान का कहर, 40 हजार लोगों की मौत।
1888: फिलिप प्राट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया।

बहुत खूब

एक ऐसा देश, जहां कुंवारे लोगों को देना पड़ता है 'बैचलर टैक्स'

नई दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां बैचलर टैक्स के नाम पर कुंवारे लोगों से भी टैक्स वसूला जाता है। ये अजीबोगरीब टैक्स वहां पहली बार 203 साल पहले यानी साल 1820 में लगाया गया था. दिलचस्प बात ये है कि 21 साल से 50 साल की उम्र के अविवाहित लोगों पर ये टैक्स सेवा लागू है। जिसे 'बैचलर टैक्स' के नाम से जाना जाता है।

दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो अक्सर कहते फिरते हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते, कुंवारे रहना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के मिसौरी राज्य में शायद ही कुंवारे लोग ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि यहां रहने वाले कुंवारे लोगों को भी टैक्स भरना पड़ता है। ये अजीबोगरीब टैक्स पहली बार आज से 203 साल पहले यानी साल 1820 में लगाया गया था और तब से ये चला आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 साल से 50 साल की उम्र के बीच वाले अविवाहित लोगों को हर साल एक डॉलर यानी करीब 83 रुपये टैक्स के रूप में भरने पड़ते हैं। वैसे इस अजीबोगरीब टैक्स को और भी कई देशों में लागू किया गया था, जिसमें जर्मनी से लेकर इटली और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, लेकिन इनमें से कई देशों में ये टैक्स सेवा समाप्त हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे और कई अजीबोगरीब टैक्स हैं, जो पहले लोगों पर लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें खत्म कर दिया गया है। बहुत पुरानी बात है जब लोगों को हैट टैक्स भी भरना पड़ता था। साल 1784 से 1811 के बीच ब्रिटिश सरकार ने पुरुषों पर ये टैक्स लगाया गया था। इसके पीछे सोच ये थी कि जिन लोगों के पास बहुत सारी महंगी-महंगी टोपियां होती थीं, वो अमीरों की श्रेणी में आते थे, जबकि गरीब तबके के लोगों के पास या तो मुश्किल से एक ही टोपी होती थी या वो भी नहीं होती थी. इसलिए उन अमीरों की संपत्ति के आधार पर उनसे टैक्स वसूला जाता था।

जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा, रिश्ते सामान्य बनाने के लिए एलएसी का सम्मान जरूरी

वियनतियाने, 26 जुलाई(एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यहां लाओस की राजधानी में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर भारत-चीन संबंधों में आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने वांग यी के साथ बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चल रही चर्चाओं को जारी रखा। सीमा पर स्थिति का असर हमारे संबंधों की स्थिति पर अनिवार्य रूप से दिखेगा। सेनाओं के बीच टकराव रोकने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन की आवश्यकता पर सहमति बनी। वांग यी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं। जयशंकर ने कहा, एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान में जरूरी मुद्दों को उद्देश्य और तत्परता की भावना के साथ देखना चाहिए।

राज्यपालों के अधिकार पर निजी विधेयक रखने का प्रस्ताव मतविभाजन में अस्वीकृत

नयी दिल्ली, 26 जुलाई (एजेंसी)। राज्यपालों के अधिकार और शक्तियों के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य डॉ. जॉन ब्रिटास के एक गैर सरकारी विधेयक पर शुक्रवार को राज्यसभा में मत विभाजन की नौबत आ गयी और इसे प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को बहुमत से खारिज कर दिया गया।

डॉ. ब्रिटास ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि कई बार देखने में आया है कि राज्यपाल अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। उन्होंने इस विधेयक में संविधान में इस आशय के संशोधन किए जाने की मांग की थी कि राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करें और ताकि संविधान की भावना का आदर हो। उपसभापति हरिवंश ने विधेयक को चर्चा और पारित करने की अनुमति के प्रस्ताव को जब ध्वनिमत से स्वीकार किए जाने के लिए सदन के सामने प्रस्तुत किया तो सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उसके विरोध में 'नहीं' कहा और विपक्षी सदस्यों ने 'हां' कह कर उसका समर्थन किया।

इस हां और नहीं की स्थिति पर दोनों पक्षों की अलग-अलग व्याख्या को देखते हुए श्री हरिवंश ने डॉ. ब्रिटास से संक्षिप्त में अपनी बात रखने का मौका दिया। इस पर उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था की दृष्टि से राज्यों की भूमिका और दायित्व एक महत्वपूर्ण विषय है। राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय भी इस पर राय दे चुका है। इसका विरोध करते हुए भाजपा के डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। यदि वे केवल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन ही सीमित हो जाएंगे तो राष्ट्रपति के अधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था है।